निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़ 1938 (श0)
(सं0 पटना 607) पटना, बुधवार, 20 जुलाई 2016

सं0 05 बेल्ट्रॉन (विविध)–01/2016 सू०प्रा०—**884**
सूचना प्रावैधिकी विभाग

———————

संकल्प
19 जुलाई 2016

विषयः—राज्य सरकार में e-Auction Module लागू करने तथा ई–क्रय प्रणाली में संशोधन करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियम/परिनियमों के अनुसार वस्तुओं के क्रय एवं सेवाओं के लिये खुली निविदा करना सामान्यतः अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से मानक गुणवत्ता की वस्तु अथवा सेवा औचित्यपूर्ण दर पर क्रय कर Value of money सुनिश्चित किया जाना है। पारम्परिक रूप से निविदा प्रणाली के अंतर्गत सरकारी क्रय के लिए निविदा जमा करना, निविदा का मूल्यांकन करना आदि का कार्य manually किया जाता था। निविदा में भाग लेने, निविदा अभिलेख निर्गत करने एवं चयन के संबंध में पक्षपात, धमकी, मूल्यसंघ (cartel) गठन आदि बहुधा शिकायतें प्राप्त होती थी।

जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–एम–4–11/ 09–5188 वि0 (2) दि० 15. 06.2009 के द्वारा ई.–क्रय प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में रू० 25.00 लाख से अधिक की सभी खरीदारी/सेवा e-Tendering/e-Procurement के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था लागू की गई। जिसकी जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग को सौंपे जाने के साथ–साथ उक्त प्रक्रिया के संपादन हेतु नोडल एजेन्सी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) को राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत किया गया है।

2. ई–क्रय प्रणाली लागू किए जाने के फलस्वरूप संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि को कार्य से संबंधित कार्यालय में जाने की बाध्यता नहीं रहती है और वह घर बैठे–बैठे Internet के माध्यम से ही किसी सरकारी निविदा में भाग ले सकते हैं। ई–क्रय प्रणाली के लाभों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि ई–क्रय प्रणाली को विस्तारित कर इसमे e-Auction Module को भी लागू किया जाय ।

3. e-Auction व्यवस्था दरअसल नीलाम करने वाले एवं बोली लगाने वालों (संवेदकों) के बीच एक ई–व्यवसाय है जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय भी कहा जा सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नीलाम करने वाले (Auctioneer) प्राधिकृत अधिकारी अपने सामान/सैरात/इत्यादि की बिक्री हेतु वेबसाईट पर सूचना जारी कर खरीदारों/बोली लगाने वालों से दर/प्रस्ताव आमंत्रित कर सकते हैं। इच्छुक संवेदक अपनी बोली/प्रस्ताव, निर्धारित समय सीमा के अंदर समर्पित कर सकते हैं। तदंतर अन्य संवेदकों द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में पुनः अपनी बोली/प्रस्ताव दुहरा सकते हैं। e-Auction एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी इच्छुक संवेदक समयानुसार

भाग लेकर अपनी–अपनी बोली लगाने के साथ दूसरे संवेदकों की बोली/प्रस्ताव के आलोक में अपनी बोली/प्रस्ताव संशोधित भी कर सकते हैं।

4. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि :–

(i) राज्य सरकार में ई–क्रय (e-Procurement) प्रणाली के अन्तर्गत e-Auction व्यवस्था ₹ 1.00 करोड़ से अधिक के मामलों में अनिवार्य होगा।

(ii) साथ–ही–साथ e-Auction व्यवस्था हेतु बेल्ट्रॉन का सेवा–शुल्क निम्नांकित रूप से निर्धारित किया जाता है :–

(क) ₹ 1.00 करोड़ तक की लागत की नीलामी हेतु सेवा शुल्क ₹ 1000 प्रति नीलामीकर्त्ता।

(ख) ₹ 1.00 करोड़ से अधिक एवं ₹ 5.00 करोड़ तक की लागत की नीलामी हेतु सेवा शुल्क ₹ 5000 प्रति नीलामीकर्त्ता।

(ग) ₹ 5.00 करोड़ से अधिक लागत की नीलामी हेतु सेवा शुल्क ₹ 15000 प्रति नीलामीकर्त्ता।

(iii) ई–क्रय (e-Procurement) प्रणाली के अन्तर्गत वर्त्तमान लागत स्तर ₹ 25.00 लाख को घटाकर ₹ 15.00 लाख किया जाता है।

5. इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं बेल्ट्रॉन की होगी। वे ई–क्रय प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन, कार्यान्वयन का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं समीक्षा कर इसको लागू करने में विभागों को तकनीकी सहयोग देंगे।

आदेश:–*आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 607-571+10-**डी०टी०पी०।**
Website: http://egazette.bih.nic.in